# ...यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ना-पत्र संख्या :–135 / 2022 दायर दिनांक– 05.07.2022

...CMS NO:- 2022/260 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. हीरालाल पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर नि0 भोमपुरा।
2. सीमा बाई पत्नी महावीर जाति गुर्जर नि0 भोमपुरा।

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. भूमिधारी राज0 सरकार जर्ये श्रीयुत तहसीलदार साहब, नैनवॉ।
2. गिरीराज पुत्र शंकर उर्फ लोडक्या जाति गुर्जर नि0 भोमपुरा।
3. रामकरण पुत्र शंकर उर्फ लोडक्या जाति गुर्जर नि0 भोमपुरा।
4. सुरजमल पुत्र हजारी जाति गुर्जर नि0 भोमपुरा।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट**

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया, दीपक कुमार गुर्जर।
अप्रार्थीगण 2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री संजय कुमार।

**निर्णय दिनांक 20.05.2025**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भोमपुरा प0म0 बामनगांव मे जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के वर्तमान खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 716 रकबा 1.3834 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके खातेदार आसामी प्रार्थीगण है जो इसी हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के समीप ही खसरा नम्बर 711 जिसके खातेदारान अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 है व शोजी पुत्र देव्या एवं मन्नी बाई पत्नी शोजीलाल जाति गुर्जर नि0 भोमपुरा है। अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 प्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमा व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के खाते की भूमि की सीमा के संबंध मे प्रार्थीगण से भारी विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण कमजोर है, प्रार्थीगण ने सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ के समक्ष प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के लिए आवेदन किया था जिस क्रम मे तहसीलदार साहब के आदेश की पालना मे पटवारी हल्का बामनगांव व पटवारी हल्का समीधी द्वारा दिनांक 26.6.2022 को मौके पर पहुंचकर सीमाज्ञान किया थात था निशानात कायम किये थे लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व अप्रार्थी गिरीराज के पु. सुरेश, प्रधान व बबलू उपरोक्त सीमाज्ञान से भारी नाराज हुए और दिनांक 27.6.2022 को एक साथ हथियारों से लेस होकर प्रार्थीगण के घर आ गये और गाली गलोच करने लग गए और धमकियां देने लगे कि अभी तुम्हारी जमीन को हांकेंगे व तुम्हारे द्वारा कराये गए सीमाज्ञान एवं सीमा चिह्नों के पत्थरों को उखाडेंगे। यह कहकर अप्रार्थीगण उसके बाद ही उनके द्वारा सीमा चिह्नों को उखाडकर नष्ट कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि आये दिन पडोसी खातेदार प्रार्थीगण से भूमि की सीमाओं को लेकर लडाई झगडा करते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा, पूर्व मे करवाये गए सीमाज्ञान का मौका पर्चा की प्रति आदि पेश कर धारा 111 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया जा चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया अतः जवाब का

अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली मे कार्यवाही चलते लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है जब यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे हुए उक्त भूमि के सीमाज्ञान की प्रति पेश की हुई है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि भोमपुरा प0म0 बामनगांव मे जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के वर्तमान खाता संख्या 68 के खसरा नम्बर 716 रकबा 1.3834 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवॉ